(4) उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने साथ यात्रा की थी और ऐसे भी अवसर थे जब पुलिस द्वारा कई नाकाओं पर लाइसेंस की जांच की गई थी और इसलिए, निष्कर्ष यह था कि किसी को भी लाइसेंस की वास्तविकता पर संदेह नहीं था।जब हम किसी बीमाकर्ता को पॉलिसी की शर्तों के भंग का बचाव करने की अनुमति देते हैं, तो हम आम तौर पर इसका परीक्षण इस बात के आलोक में करते हैं कि क्या स्वयं बीमाकृत द्वारा पॉलिसी की शर्तों का भंग किया गया था।यह मालिक की ईमानदारी है जो भौतिक है और उसके पास इसकी वास्तविकता पर संदेह करने का कोई कारण होना चाहिए।बीमाकर्ता के खिलाफ मामला अभी भी इस तथ्य के लिए चलाया जाना बाकी है कि मालिक के पास इस विश्वास का प्रमाण था कि ड्राइविंग लाइसेंस वास्तविक था।

(5) पुरस्कार की पुष्टि हो जाती है और अपील खारिज कर दी जाती है। अपील करने के समय इस न्यायालय के समक्ष जमा की गई कुल आई. डी. 1,000/- की राशि को निर्णय की आंशिक संतुष्टि के लिए न्यायाधिकरण को प्रेषित करने का आदेश दिया जाता है।

वी. सूरी

के. कन्नन से पहले, जे.

मूल बीमा कंपनी लिमिटेड, इसके क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा से, एससीओ NO.109-11, सेक्टर 17-डी, चंडीगढ़,-अपीलार्थी

बनाम

राजेंद्र कौर और अन्य,-2011 का उत्तरदाता एफ. ए. ओ. सं. 3091

20 अप्रैल, 2011

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-धारा 166 और 163-ए-मृत्यु मामला-एक युवा कुंवारे के मामले में गुणक-न्यायिक घोषणाएं और

अनुसूची II के तहत वैधानिक रूप से जो प्रदान किया गया है उसका मिलान-17 का गुणक लागू-गुणक मृतक की उम्र से संबंधित हो सकता है और जरूरी नहीं कि इसे केवल माता-पिता की उम्र तक ही सीमित किया जाए-अपील खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि जहां कहीं भी दावा आई. डी. 1,000/- से अधिक है और अनुसूची II के तहत प्रदान किए गए मुआवजे के पैमाने को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है, न्यायाधिकरण सरला वर्मा के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीके से 50 प्रतिशत की कटौती करेगा और माता-पिता में से छोटे की उम्र के लिए उपयुक्त गुणक भी लागू करेगा।न्यायिक घोषणाओं द्वारा से जो सामने आया है, उसके बीच सामंजस्य स्थापित करने का यही एकमात्र तरीका है

और अनुसूची II के तहत वैधानिक रूप से क्या प्रदान किया गया है। अनुसूची II उन मामलों में लागू होती है जहां मोटर वाहन अधिनियम की खंड 163-ए के तहत दावा किया जाता है और मृतक की वार्षिक आय Rs.40,000/- से अधिक नहीं थी।इस मामले में, न्यायाधिकरण ने मृतक की आय को 3,000/- रुपये लिया है, जो सालाना Rs.40,000/- से कम है और इसमें 50 प्रतिशत की कटौती की है और 17 का गुणक अपनाया है। मोटर वाहन अधिनियम की खंड 163-ए के तहत सिद्धांत का अनुप्रयोग उस मामले में भी संभव है जहां मोटर वाहन अधिनियम की खंड 166 के तहत दावा किया गया है, जैसा कि हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में कहा था। बनाम धनबाई कांजी गढ़वी 2011 (2) एस. सी. सी. 240।माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में कहा है कि न्यायालय को मोटर वाहन अधिनियम की खंड 163-ए के तहत प्रदान किए गए मानकों को अपनाने का अधिकार है, भले ही मोटर वाहन अधिनियम की खंड 166 के तहत आवेदन किया गया हो। हाल ही में पी. एस. सोमनाथन और अन्य बनाम में एक निर्णय लिया गया है। जिला बीमा अधिकारी और एक अन्य (2011) 3 एस. सी. सी. 566 जहां माता-पिता और भाई-बहनों द्वारा कुंवारे के लिए किए गए दावे में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गुणक मृतक की उम्र से संबंधित हो सकता है और जरूरी नहीं कि केवल माता-पिता की उम्र तक ही सीमित हो।

(पैरा 3)

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता अश्विनी तलवार।

के. कन्नन जे. (ORAL)

(1) अपील बीमा कंपनी द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अपने बेटे, जो 22 वर्ष का कुंवारा था, की मृत्यु पर माता-पिता द्वारा किए गए दावे में न्यायाधिकरण ने माता-पिता की आयु के अनुरूप गुणक लेने के बजाय 17 का गुणक अपनाना गलत था।विद्वान वकील

यह बताएगा कि का निर्णय शक्ति देवी बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले में

(1) इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि ऐसे मामले में जहां दावेदार माता-पिता हैं, गुणक केवल माता-पिता की उम्र के आधार पर लिया जाना चाहिए, न कि मृतक की उम्र के आधार पर।

(2) जब मृतक कुंवारा होता है तो माता-पिता द्वारा किए गए दावे के संबंध में उचित गुणक के मुद्दे पर कुछ अलग-अलग राय हैं।सरला वर्मा बनाम डी. टी. सी. (2) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मृतक की उम्र के लिए उपयुक्त गुणकों के आवेदन के लिए दिशा-निर्देश दिए थे, लेकिन इसने वास्तव में माता-पिता द्वारा दावे के लिए कोई विशिष्ट विचलन नहीं किया और

(1) जेटी 2010 (13) एससीसी 103

(2) 2009 (6) एससीसी 121 717

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

थ्रू इट्स रीजनल मैनेजर, एससीओ नं। 109-11, द्वाराक्टर 17-D, चंडीगढ़

बनाम

राजेंद्र कौर और अन्य (के. कन्नन, जे.)

इसने केवल पारंपरिक 1/3 के बजाय 50 प्रतिशत की कटौती का प्रावधान किया।सरला वर्मा के मामले (ऊपर) में इस फैसले पर बाद में शक्ति देवी के मामले (ऊपर) में विचार किया गया, जहां अदालत ने समझाया कि उचित गुणक माता-पिता की उम्र पर निर्भर करेगा।

(3) इस मामले में उभरने वाले प्रस्ताव को मैं इस प्रकार समझूंगाःजहां कहीं भी दावा आई. डी. 1,000/- से अधिक है और अनुसूची II के तहत प्रदान किए गए मुआवजे के पैमाने को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां न्यायाधिकरण सरला वर्मा के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीके से 50 प्रतिशत की कटौती करेगा और माता-पिता में से छोटे की उम्र के लिए उपयुक्त गुणक भी लागू करेगा।न्यायिक घोषणाओं द्वारा से जो सामने आया है और जो अनुसूची II के तहत वैधानिक रूप से प्रदान किया गया है, उसके बीच सामंजस्य स्थापित करने का यही एकमात्र तरीका है। अनुसूची II उन मामलों में लागू होती है जहां मोटर वाहन अधिनियम की खंड 163-ए के तहत दावा किया जाता है और मृतक की वार्षिक आय रुपये से अधिक नहीं थी। 40, 000/-।इस मामले में, न्यायाधिकरण ने मृतक की आय को 3,000/- रुपये लिया है, जो सालाना Rs.40,000/- से कम है और इसमें 50 प्रतिशत की कटौती की है और 17 का गुणक अपनाया है। मोटर वाहन अधिनियम की खंड 163-ए के तहत सिद्धांत का अनुप्रयोग उस मामले में भी संभव है जहां मोटर वाहन अधिनियम की खंड 166 के तहत दावा किया गया है, जैसा कि हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

धनबाई कांजी गढ़वी

(3)माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में कहा है कि न्यायालय को मोटर वाहन अधिनियम की खंड 163-ए के तहत प्रदान किए गए मानकों को अपनाने का अधिकार है, भले ही मोटर वाहन अधिनियम की खंड 166 के तहत आवेदन किया गया हो। इसके बाद एक **हाल ही में पी. एस. सोमनाथन और अन्य बनाम जिला बीमा अधिकारी और 2011 के सीए No.1891 में एक अन्य निर्णय दिनांक 17.02.2011 (4)**जहां माता-पिता और भाई-बहनों द्वारा कुंवारे के लिए किए गए दावे में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गुणक मृतक की उम्र से संबंधित हो सकता है और जरूरी नहीं कि इसे केवल माता-पिता की उम्र तक ही सीमित किया जाए।ऐसी परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया मुआवजा उस बात की पुष्टि करता है जो कानून में स्वीकार्य है और मैं इसे अपील में हस्तक्षेप का कारण नहीं लूंगा।

(4) पुरस्कार की पुष्टि हो जाती है और अपील खारिज कर दी जाती है।

वी. सूरी

(3) 2011 (2) एससीसी 240

(4) जेटी 2011 (2) एससी 242

अस्वीकरण:- स्थानिया भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित प्रयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस का उपयोग नहीं किया जा सकता । सभी व्हावीरिक एवं आधारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण परमानिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

gurvinder kaur